न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 195/2017 (उदयपुर डिक्री)

लच्छा पिता रूपा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स आर्ची आर्केड (भागीदारी फर्म) जरिये भागीदार श्री दिनेश जैन पिता श्री हरिसिंह जैन, निवासी 80, मोती मगरी स्कीम, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दिलीप कुमार मुन्दड़ा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86 एम–1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
3. दिलीप कुमार मुन्दड़ा पिता श्री रामचन्द्र मुन्दड़ा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86 एम–1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
4. नारायणलाल पिता उंकार जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. भंवरलाल पिता उंकार जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. पन्नालाल पिता उंकार जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती हमेरीबाई पत्नी स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. मोड़ीलाल पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. प्रकाश पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. किशन पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11. श्रीमती मनोहरी बाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी हीरालाल जी डांगी, निवासी कानपुर फला नदोवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती शान्ता बाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी छगन जी डांगी, निवासी कानपुर फला धोरावाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती भागू पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी शंकर जी डांगी, निवासी पुला फला घोमटा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
14. गिरजा शंकर पिता श्री भेरूलाल तेली, निवासी 2, गणेश टेकरी के पास, उदयपुर (राज.)
15. मुकेश पोरवाल पिता श्री शेषमल पोरवाल, निवासी 20, धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)
16. श्रीमती किरण पालीवाल पत्नी श्री राजकुमार बागोरा, निवासी 37 बी, खानपुर कॉलोनी, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती गीता मुन्दड़ा पत्नी श्री विनोद कुमार मुन्दड़ा, निवासी धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)
18. श्रीमती रेखा कटारिया पत्नी श्री अशोक कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, राम वाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)
19. अशोक कटारिया पिता श्री रतनलाल कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, राम वाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)
20. संयम सिंघवी पिता श्री श्याम एस. सिंघवी, निवासी 301, एन रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
21. पुरूषोत्तम पिता मांगीलाल वैरागी, निवासो 99, देवाली, उदयपुर (राज.)
22. घनश्याम राठी पिता श्री रमेशचन्द्र राठी, निवासी बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)
23. परसराम पिता आवतराम माखीजा, निवासी 11 बी, भोपालपुरा, रोड़ नंबर 5, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

24. केशवदास पिता श्री द्वारकादास वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

25. लक्ष्मीदेवी पत्नी द्वारकादास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

26. सावित्री देवी पत्नी केशवराम वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

28. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 12.10.2017 प्र. सं. 41/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री पी. सी. पालीवाल अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री मनीष मोगरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1
3. श्री सुशील डांगी अभिभाषक रे॰ सं॰ 2 से 6
4. श्री ओंकारलाल डांगी अभि॰ रे॰सं॰ 7 से 13
5. श्री शान्तिलाल पामेचा अभि॰ रे॰सं॰ 19 से 23

———:::———

निर्णय दिनांक

23—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आयड़ की आराजीयात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1363 से 1370 व 1372 से 1380 कुल किता 17 रकबा 1.9750 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें से वादी फर्म के स्वामित्व की 0.3400

हैक्टर भूमि है, जो उसने पृथक–पृथक पंजीकृत विक्रय विलेखों से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। वादी अपने उक्त 0.3400 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहता है। अतः वाद वर्णित भूमियों में वादी फर्म की 0.3400 हैक्टर भूमि मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 12–10–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 लच्छा द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–11–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने कार्यवाही पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे अनुसार विभाजन की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर आराजी नंबर 1366, 1367/1 व 1369/1 कुल रकबा 0. 4000 हैक्टर भूमि वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के रखी गयी है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील पेश की गयी हैं, लेकिन चूंकि अब दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को प्राप्त हिस्से से को यथावत रखते हुए शेष आराजियात का पक्षकारों के मध्य राजीनामे अनुसार बंटवाड़ा चाहा गया है।

अतः प्रस्तुत राजीनामे अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2017 में वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गयी आराजी नंबर 1366, 1367/1 व 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि के निर्णय को यथावत हुए शेष अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है तथा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार वाद डिक्री

किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह में प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वाद का निस्तारण कर अंतिम रूप से बंटवाड़े की डिक्री जारी करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशि्ट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलो लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम..............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

लालु पिता स्वर्गीय देवा जी भील, बनाम प्रभू पिता स्वर्गीय लखिया जी भील,
निवासी कात्याफला, अलसीगढ़, निवासी कात्याफला, अलसीगढ़,
तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.......37/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............25...............माह..............01......
......2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........28....माह........06.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी........श्री अजयसिंह हाड़ा.........मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री चन्द्रशेखर आमेटा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 25–01–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........28......माह.......06...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।